न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 08/2017

1. नाथ्या गुर्जर निवासी बडौरा तहसील अटरू जिला बारां राज0 (मृतक)।

1/1 मोहनलाल पुत्र देवीलाल जाति गुर्जर निवासी बडौरा तहसील अटरू।

1/2 अमरी बाई पत्नि देवीलाल जाति गुर्जर निवासी बडोरा तहसील अटरू।

1/3 रामप्यारी पुत्री देवीलाल जाति गुर्जर निवासी बडोरा तहसील अटरू।

1/4 जानकी बाई पुत्री नाथ्या पत्नि भरतराम जाति गुर्जर निवासी बडोरा तहसील अटरू।

2. बिरधी बाई पुत्री नाथ्या पत्नि भरतराम जाति गुर्जर निवासी बडोरा तहसील अटरू जिला बारां राज। प्रार्थीगण

बनाम

1. हीरालाल गुर्जर (मृतक)

1/1 गणेशी बाई पुत्री हीरालाल पत्नि कान्हा जाति गुर्जर निवासी भरतपुर।

1/2 लड्डू बाई पुत्री हीरालाल पत्नि जानकीलाल जाति गुर्जर निवासी चौमातुर तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राज0।

1/3 भौजा पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर निवासी बडोरा तहसील अटरू।

1/4 लल्लू पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर निवासी बडोरा तहसील अटरू।

1/5 छोटूलाल पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर निवासी बडोरा तहसील अटरू।

1/6 रामलाल पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर निवासी बडोरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र

उपस्थिति :—

प्रार्थी/प्रतिवादी :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

अप्रार्थी/वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्री लाल नागर।

आदेश दिनांक 12.06.2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र का इस आशय का पेश किया है कि उपरोक्त उनवान के

प्रकरण में माननीय न्यायालय ने निर्णय पारित किया जाकर अन्तिम डिक्री की पालना करवाई जाकर प्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड में खाता भी अलग कर दिया गया है जिसमें प्रार्थीगण के ख0नं0 1403 का रकबा 0.90 है0 तथा ख0नं0 1404 का रकबा 0.99 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.89 है0 आराजी हिस्से में आई है। इजराय की पालना केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में ही की गई है मौके पर इजराय की पालना में प्रार्थीगण के हिस्से में आई आराजी न तो मौके पर प्रार्थीगण को बताई गई है न ही मौके पर प्रार्थीगण के खाते की आराजी पर पत्थरगढी करवाई गई है। जिससे प्रार्थीगण को सन् 1987 से सन् 2017 तक फैसले होने से फैसले की पालना होने के बाद भी प्रार्थीगण को अपनी आराजी नही मिली है, वे उनके खाते की आराजी पर पत्थरगढी के अभाव में काश्त नही कर पा रहे है।

अतः श्रीमान की सेवा में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के इजराय की पालना में पृथक से खाते में आई आराजी ख0नं0 1403 का रकबा 0.90 है0 तथा खसरा नं0 1404 का रकबा 0.99 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.89 है0 माल बडोरा तहसील अटरू की मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश तहसीलदार साहब अटरू को प्रदान करने की कृपा करें ताकि प्रार्थीगण को 30 वर्षो से मुकदमा लडने के बाद आराजी मिल सकें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण 1/1 से 1/6 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 अस्वीकार है। विशेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 अस्वीकार है विशेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है। अनुतोष प्रार्थीगण अस्वीकार है।

—::विशेष आपत्तियां::—

वाके ग्राम बडोरा की विवादित आराजी ख0नं0 1403 का रकबा 0.90 है0, खसरा नं0 1404 का रकबा 0.99 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.89 है0 प्रार्थीगण के तथा ख0नं0 1405 का रकबा 0.76 है0 ख0नं0 1406 का रकबा 0.61 है0 ख0नं0 1408 का रकबा 0.28 है0 ख0नं0 1404 का रकबा 0.24 है0 कुल किता 4 का रकबा 1.89 है0 आराजी अप्रार्थीगण के पृथक—पृथक दर्ज खाता हो चुकी है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के ख0नं0 1404 का रकबा के बंटवारें में दिशा अंकित नही की गई है जिससे मौके पर पत्थरगढी करवाया जाना न्यायोचित

नही है। उपरोक्त विवादित आराजी बाबत् अपील संख्या 2380/16 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार है। अपील के साथ अप्रार्थीगण/अपीलान्ट ने स्थगन भी पेश कर रखा है जो एडमिट किया जा चुका है। स्थगन आदेश शीघ्र मिलने की सम्भावना है। अप्रार्थीगण वाद ग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी पर कब्जा प्राप्त करना चाहते है। तो बेदखल करने की धारा 183 आर0टी0एक्ट की कार्यवाही करें। प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। उक्त पत्रावली में इजराय की पालना हो चुकी है तथा अब कोई कार्यवाही शेष नही है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को परेशान करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र बिना टाइटल के पेश किया गया है जो चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावें।अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगे।

अतः माननीय न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें।

अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया उभय पक्षकारान की बहस सुनी विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया कि माननीय न्यायालय ने निर्णय पारित किया जाकर अन्तिम डिक्री की पालना में प्रार्थीगण का खाता भी अलग कर दिया है। जिसमें प्रार्थीगण के ख0नं0 1403 रकबा 0.90 है0 ख0 नं0 1404 रकबा 0.99 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.89 है0 भूमि हिस्से मे आई है। इजराय की पालना में प्रार्थीगण के हिस्से में आई आराजी न तो मौके पर प्रार्थीगण को बताई गई नही मौके पर प्रार्थीगण के खाते की आराजी पर पत्थरगढी करवाई गई है। पत्थरगढी के अभाव में प्रार्थीगण काश्त नही कर पा रहे है। अतः इजराय की पालना में प्रार्थीगण के हिस्से में आई भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश फरमावें। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी ग्राम बडौरा की किता 4 रकबा 1.89 है0 अप्रार्थीगण के पृथक खाते दर्ज हो चुकी है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के ख0नं0 1404 का रकबा के बंटवारे में दिशा अंकित नही की गई है। जिससे मौके पर पत्थरगढी करवाया जाना न्यायोचित नही है। विवादित आराजी बाबत् माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा स्थगन भी पेश कर रखा है। जो एडमिट किया जा चुका है। स्थगन शीघ्र मिलने की सम्भावना है। इस प्रार्थना पत्र

से प्रार्थी किसी प्रकार का स्थगन प्राप्त नही कर सकता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमावें। पत्रावली का अवलोकन किया प्रगार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर टी.ए 195 अपील डिक्री नं0 2380/16 की आर्डर शीट की नकल पेश की है। जो माननीय न्यायालय द्वारा 09.03.2018 को आदेश पारित कर अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गई तथा अप्रार्थीगण द्वारा पुनः 13.07.2018 को पेश की गई, जिसकी दिनांक 13.07.2018 से 04.07.2018 तक आर्डर सीट की नकल पेश की गई माननीय न्यायालय द्वारा अभी तक भी प्रकरण में स्थगन जारी नही किया गया और न ही अप्रार्थीगण द्वारा कोई आदेश पेश किया प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 20.07.2017 से विचाराधीन चल रहा है। जिसमें निर्णय किया जाना आवश्यक है। न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम बडौरा की ख0नं0 1403 रकबा 0.90 है0 व ख0नं0 1404 रकबा 0.99 है0 किता 2 रकबा 1.89 है का सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार, भू0 अभिलेख, पटवारी की टीम गठित कर पुलिस इमदाद लेकर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार आदेश की पालना करें।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.07.23 12:53:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: